AIRO JOURNALS

Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International

ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

अनुच्छेद 370: एक स्थायी और अस्थायी प्रावधान का एक अध्ययन

हेमंत कुमार[1], डॉ. सुनीता सिन्हा[2]
[1]शोधकर्ता , पॉलिटिकल साइंस विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर
[2]शोध निर्देशिका ,पॉलिटिकल साइंस विभाग, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

DECLARATION:: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THIS JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PREPARED PAPER.. I HAVE CHECKED MY PAPER THROUGH MY GUIDE/SUPERVISOR/EXPERT AND IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ PLAGIARISM/ OTHER REAL AUTHOR ARISE, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. . IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL..

सारांशः भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 370 को संविधान के अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत, भाग XXI में अधिनियमित किया गया है। भारतीय संविधान की स्थापना के समय से ही यह राजनीतिक विचारकों के बीच विवादों में रहा है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान के भीतर पूर्वाग्रह और अपवादों के कारण लेख को स्केच करने से इनकार कर दिया था। हाल के वर्ष में समाज के विशेष तबके की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन करने की बहुत मांग है। यह पत्र भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को खत्म करने में व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है और कुछ प्रकाश के माध्यम से इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में भी बताता है। इस संबंध में न्यायिक मार्गदर्शन के तहत अनुच्छेद 370।

मुख्य शब्दः अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35।, जम्मू और कश्मीर, संविधान, विशेष दर्जा

परिचयः

कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) राज्य 1947 से पहले ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था।

यह महाराजा हरि सिंह के शासन में था जो हिंदू धर्म के थे। कश्मीर घाटी की बड़ी आबादी में मुस्लिम शामिल थे और वहां की हिंदू आबादी में ज्यादातर कश्मीरी ब्राह्मण और कुछ अन्य लोग शामिल थे जो हरि सिंह सरकार के लिए बंद थे। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और 15 अगस्त 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात भारत और पाकिस्तान।[1] जबकि ब्रिटिश भारत को केवल भारत या पाकिस्तान में शामिल किया गया था, 565 रियासतों के राजा, जो ब्रिटिश आधिपत्य की स्वायत्तता के अधीन थे, को तीन विकल्प दिए गए थेः भारत या पाकिस्तान में प्रवेश, या स्वतंत्रता। आखिरी विकल्प केवल सैद्धांतिक रूप से मौजूद था, क्योंकि शायद कोई भी रियासत दुनिया में और आर्थिक रूप से दो बड़े पड़ोसी देशों के सामने राजनीतिक रूप से स्वायत्तता से बचने की स्थिति में नहीं थी।[2]

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

इसके बावजूद, महाराजा हरि सिंह ने विभाजन के बाद भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया और तीसरा विकल्प चुना यानी एक स्वतंत्र राज्य होने का विचार। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली विद्रोहियों के जरिए जम्मू–कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हमले का विरोध करने की स्थिति में नहीं होने के कारण भारत के डोमिनियन के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के परिग्रहण के लिए सशर्त बातचीत की। जम्मू और कश्मीर राज्य की यह असंतुलित स्थिति भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने की ओर ले जाती है। [3] भारत सरकार ने उन्हें 27 अक्टूबर 1947 को विलय के साधन पर हस्ताक्षर करवाए। विलय का साधन कानूनी दस्तावेज था जिसका इरादा था रियासतों और दो नवगठित राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में से किसी एक के परिग्रहण के लिए। इसे एक तरफ भारत सरकार द्वारा और दूसरी तरफ प्रत्येक रियासत के शासकों द्वारा निष्पादित किया गया था। [4] हालाँकि, जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ क्रियान्वित विलय के साधन को जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के डोमिनियन द्वारा कानून बनाने की शक्ति को केवल चार क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है, अर्थात्) रक्षा इ) विदेश मामले सी) संचार और डी) सहायक मामले। [5] हालाँकि, जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ भारत सरकार की कानूनी स्थिति को कवर करने वाले विवाद के कारण, जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ हस्ताक्षर किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर महाराजा द्वारा या तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की प्रकृति के बारे में व्यापक रूप से बहस हुई है। विलय के साधन के अनुसार भारतीय संघ के साथ राज्य का संबंध।[6]

अनुच्छेद 370 का निर्धारण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अनुच्छेद 370 को संविधान के अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत भाग XXI में अधिनियमित किया गया है। भाग बी राज्यों या पूर्व रियासतों से संबंधित पुराने अनुच्छेद 238 को 7 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1956 भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद। हालाँकि अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 238 को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 370 अपनी स्थापना के समय से ही विवादास्पद रहा है, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। डॉ बीआर अंबेडकर ने इस लेख को रेखांकित करने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह एक स्वतंत्र भारत के ढांचे के भीतर एक अपवाद था। अंत में प्रारूपण गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा किया गया, जो प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के विश्वासपात्र और महाराजा हरि सिंह के पूर्व दीवान थे। तथ्य यह है कि यह शुरू में प्रकृति में अस्थायी होने का इरादा था; इसलिए इसे भाग XXI में अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों में शामिल किया गया था।

धारा 370 के प्रावधान

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

इस प्रकार अनुच्छेद 3709 के प्रावधान से स्पष्ट है कि, यह अनुच्छेद 370 के ''अस्थायी प्रावधान'' करता है और जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। अनुच्छेद 370 कहता है कि अनुच्छेद 1 संविधान जो भारत के संघ के क्षेत्र को रेखांकित करता है, और अनुच्छेद 370 स्वयं, अनुच्छेद 370 के प्रारंभ के समय तुरंत राज्य पर लागू होता है। अनुच्छेद 370 (1) (बी) ने राज्यों के लिए कानून बनाने की केंद्रीय विधायिका की शक्ति को निम्नलिखित तक सीमित कर दिया [10]: –

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची में वे मामले जो परिग्रहण के साधन में निर्दिष्ट विषयों के अनुरूप हैं। 11 यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विलय के साधन में तीन प्रमुख प्रमुखों का उल्लेख किया गया है, अर्थात् रक्षा, विदेशी मामले और संचार। तीन प्रमुख शीर्षों के अलावा, कई सहायक मामलों का भी इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेसेशन में उल्लेख किया गया है। संघ और समवर्ती सूची में उन मदों की पहचान करना आवश्यक था और यह कार्य राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित करने के लिए छोड़ दिया गया था।

(ii) संघ या समवर्ती सूची में ऐसे अन्य विषय जो राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से आदेश द्वारा दे सकते हैं। इस खंड का अर्थ है कि विलय के दस्तावेज में उल्लिखित विषयों के अलावा अन्य विषयों को संसद के दायरे में लाया जा सकता है। लेकिन उपरोक्त (i) में, केवल राज्य सरकार के परामर्श की आवश्यकता है, जबकि (ii) में राज्य सरकार की सहमति का उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 370(1)(डी) में प्रावधान है कि संविधान के अन्य प्रावधानों को राष्ट्रपति के आदेश से संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के राज्य पर लागू किया जा सकता है। ऐसा आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाना है:

(1) राज्य सरकार से परामर्श किए बिना यदि आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले मामले विलय के साधन में उल्लिखित मामलों से संबंधित हैं;

(2) राज्य सरकार की सहमति के बिना यदि आदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले मामले उपकरण में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 370 (2) में आगे प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार ने राज्य की संविधान सभा के आयोजन से पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपनी सहमति दी है, ''इसे इस तरह के निर्णय के लिए ऐसी विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा जैसा कि यह हो सकता है''। चूंकि संविधान सभा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 370 (2) अपने आप समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए अपने आवेदन में संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित नहीं करता है। यहां तक कि

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

राज्य के लिए इसके आवेदन में एक संवैधानिक प्रावधान में एक बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 370 राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रावधान को बदलने का अधिकार देता है, जब इसे पहली बार राज्य में लागू नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में इसे लागू होने के बाद भी लागू किया जाता है। संविधान में किया गया संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य पर स्वतः लागू नहीं होता है। यह केवल राज्य सरकार की सहमति से लागू हो सकता है, और जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के तहत एक आदेश जारी करता है। [12]

संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954

अनुच्छेद 370 (प) (पप) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के विभिन्न अन्य प्रावधानों और अधिनियमित कानूनों को लागू करते हुए 1950 से कई संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश जारी किए हैं। संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए। पहला ऐसा आदेश 1950 में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि संविधान में कोई भी संशोधन राज्य पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि इसे वहां तक नहीं बढ़ाया जाता है—अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से। इस आदेश को 1954 के आदेश से हटा दिया गया था। भारत के संविधान के विभिन्न अन्य प्रावधानों को राज्य में लागू करने वाले 1954 के आदेश में अब तक लगभग 45 संशोधन आदेश हो चुके हैं। 13 अनुच्छेद 35 ए को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में डाला गया था – संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश , 1954। यह आदेश तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायिका को ''स्थायी निवासियों'' को परिभाषित करने की शक्ति देता है।

राज्य और इन स्थायी निवासियों को सार्वजनिक रोजगार, संपत्ति के अधिग्रहण, मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति के मामले में विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। [14] अनुच्छेद 35ए संदिग्ध है क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था।

राज्य की संविधान सभा ने अंततः 27 नवंबर, 1956 को जम्मू और कश्मीर के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी 1957 को हुआ था, जिसने स्पष्ट प्रस्तावना संवैधानिक भाषा में जम्मू राज्य के एकीकरण के साधन के रूप में परिग्रहण को मंजूरी दी थी। और भारतीय संघ के लिए कश्मीर, अर्थात, ''जम्मू और कश्मीर के भारत में प्रवेश के परिणामस्वरूप, जो कि अक्टूबर, 1947 के छब्बीसवें दिन हुआ था, राज्य के मौजूदा संबंधों को और अधिक परिभाषित करने के लिए संघ के साथ भारत इसके अभिन्न अंग के रूप में''। जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 3 में कहा गया है: ''जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है और रहेगा''। [15]

AIRO JOURNALS
Free / Unpaid
Peer Reviewed
Multidisciplinary
International
ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

अनुच्छेद 370 का निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति

अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 370(3) के अनुसार, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 लागू होना बंद हो जाएगा, या केवल ऐसे अपवाद और संशोधन के साथ और उस तारीख से लागू होगा जैसा वह निर्दिष्ट कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। चूंकि राज्य की संविधान सभा अब मौजूद नहीं है, इसलिए, अनुच्छेद 370 (3) अब लागू नहीं है। तद्नुसार यदि अनुच्छेद 370 में कोई संशोधन करना है तो उसे संविधान संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 368 के तहत करना होगा। हालांकि, यहां एक सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार की सहमति या परामर्श के बिना अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 370 में कोई संशोधन प्रभावी होगा? संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश 1950, यह बताता है कि संविधान में कोई भी संशोधन राज्य पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि इसे अनुच्छेद 370 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है, जिसमें फिर से ''सहमति'' शामिल है। , या ''परामर्श'', राज्य सरकार। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 370 में कोई भी संशोधन केवल सहमति से या जम्मू और कश्मीर राज्य के परामर्श से किया जा सकता है जो कि राज्य के वर्तमान परिदृश्य को देखने पर संभव नहीं लगता है। कुमारी विजयलक्ष्मी झा द्वारा दायर एक याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल, 2018 को घोषित किया कि 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम संतोष गुप्ता' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अनुच्छेद 370 पर विवाद को अंतिम रूप से सुलझाया गया था। अदालत के फैसले और प्रावधान ने संविधान में स्थायी स्थान हासिल कर लिया था और इसे अब केंद्र सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चूंकि राज्य की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया है, राष्ट्रपति इसके निरस्त करने के लिए इसकी सिफारिश प्राप्त करने के अनिवार्य प्रावधान को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एक घोषणा की मांग की कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो 26 जनवरी, 1957 को जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया था और तदनुसार जम्मू और कश्मीर का संविधान शून्य, निष्क्रिय और संविधान के उल्लंघन में था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुच्छेद 370 का प्रारूप संविधान के भाग XXI में ''अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों'' के तहत तैयार किया गया था, फिर भी समय के साथ इसे स्थायी दर्जा प्राप्त हो गया।

सन्दर्भः

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर संग्रह, संवाद 2017।

2. कॉन्स्टेंटिन सर्गियू और कोस्लर कार्ल, ''जम्मू और कश्मीर'', ऑनलाइन कम्पेंडियम ऑटोनॉमी अरेंजमेंट इन द वर्ल्ड, जनवरी 2016, www.world&autonomies.info पर।

ISSN: 2320-3714
Volume:2 Issue:3
June:2022
Impact Factor: 6.3
Subject Humanities

3. होसकोटे अमिताभ, होसकोटे विशाखा ए, ''जम्मू एंड कश्मीर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ आर्टिकल 370: सीलिंग लीगैलिटी फॉर द इलिजिटिमेट'', पीपलः इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, वॉल्यूम। 3, अंक 1, (813–835)।

4. कुलश्रेष्ठ प्रदीप, ''अनुच्छेद 370: संवैधानिक दायित्व और मजबूरी'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, वॉल्यूम। 4, अंक 1, जनवरी 2016, (94–112)।

5. म.प्र. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा नागपुर, हरियाणा, 2010।

6. मीर खुर्शीद अहमद, ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर बहस'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम। 2. अंक 3, 2017.

7. नाथ सूर्यकांत, ''परिग्रहण के साधन का मिथकः एक पुनर्मूल्यांकन'', एप्लाइड रिसर्च के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 2, नंबर 3, पीपी. 17–18 2016 (17–21)

8. सागर दया, जम्मू और कश्मीरः एक शिकार, महासागर पुस्तक प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015।

*****